

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रवणी देवी बनाम् राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर

किस्म मुकदमा:- इजराय

मुकदमा नम्बर:- 18 / 2017

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हये
04.2017	<p>वकील डिक्रीदार ने उपस्थित होकर इजराय पेश की। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 13.06.2017 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">Om</p>	
30-11-17	<p>वारीख पेशी से फिरकर अपन पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। वकील डिक्रीदार ने उपस्थित होकर प्रकरण में पारित निर्णय अनुसार राजस्व रिपोर्ट में कामल इराज हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पुनः तहरीर जारी करके का निवेदन किया। वकील डिक्रीदार के निवेदन पर पुनः तहरीर जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 30-12-17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">Om</p>	<p>श.प्र. पृथ्वीपुरा द.ना.प्र. सं. 753 दि. 23/02/18</p>
6-6-18	<p>पत्रावली व आग नाम आपके डार आर्जीशन- 2008 के तहत आपोर्जिक राजस्व लोड अडालत ईधे - बाजारियावास में पेश हुई। 1- मामला उधे पारित निर्णय व डिक्री की पालना जरिये नाम- लक्ष्मी तंज्या 753 दिनांक 23/02/18 के तहत उधे राजस्व रिपोर्ट में कामल इराज हो जाते हैं। उधे में कामल कोई कार्यवाही अपोर्जिक नहीं हो जाते। पत्रावली दिनांक मुकदमा</p> <p style="text-align: center;">Om</p>	